

IPC की धारा 498A का दुरुपयोग

प्रलिस के लयः

IPC की धारा 498A

मेन्स के लयः

IPC की धारा 498A और इसका दुरुपयोग, महिलाओं के खलाफ हसिा (VAM), घरेलू हसिा संबंघी अधनियिम

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक हालिया नरिणय में IPC की धारा 498A के बढ़ते दुरुपयोग को रेखांकति करते हुए कहा कि इससे वविाह संबंघों में संघर्ष बढ़ रहा है।

- धारा 498A का उद्देश्य त्वरति राज्य हस्तक्षेप के माध्यम से एक महिला पर उसके पति एवं ससुराल वालों द्वारा द्वाारा की गई करूरता को रोकना है।
- न्यायालय ने माना कि IPC की धारा 498A जैसे प्रावधानों को पति और उसके रशितेदारों के खलाफ वयक्तगत दुश्मनी से नपिटाने के लयि एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्तति बढ़ रही है।

IPC की धारा 498A:

- भारतीय दंड संहति-1860 की धारा 498A वर्ष 1983 में भारतीय संसद द्वारा पारति की गई थी।
- भारतीय दंड संहति की धारा 498A एक आपराधकि कानून है।
- इसमें परभाषति कयिा गया है कि यद किसी महिला के पति या पति के रशितेदार ने महिला के साथ करूरता की है तो इसके लयि 3 वर्ष तक की कैद की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है।
- भारतीय दंड संहति की धारा 498A महिला के खलाफ हसिा (VAW) के लयि सबसे बड़ा बचाव है, जो एक घर की चारदीवारी के भीतर होने वाली घरेलू हसिा की वास्तवकिता का प्रतबिबि है।

घरेलू हसिा अधनियिम:

- शारीरकि हसिा, जैसे- थपपड़ मारना, लात मारना और पीटना।
- यौन हसिा, जसिमें जबरन संभोग और यौन उत्पीड़न के अन्य रूप शामिल हैं।
- भावनात्मक (मनोवैज्जानकि) दुर्व्यवहार जैसे- अपमान करना, डराना, नुकसान की धमकी, बच्चों को ले जाने की धमकी।
- व्यवहार को नयित्त्रति करना, जसिमें किसी वयक्त को परिवार और दोस्तों से अलग करना, उनकी गतविधियों की नगिरानी करना तथा वतितीय संसाधनों, रोज़गार, शकिषा या चकितिसा देखभाल तक पहुँच को प्रतबिंधति करना शामिल है।

भारतीय कानून जो महिलाओं के खलाफ हसिा की घटनाओं को रोकने में मदद करते हैं?

- दहेज नषिध अधनियिम, 1961
- महिलाओं का अश्लील प्रतनिधित्व (नषिध) अधनियिम, 1986
- सती आयोग (रोकथाम) अधनियिम, 1987
- घरेलू हसिा से महिलाओं का संरक्षण अधनियिम, 2005
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधनियिम, 2013
- आपराधकि कानून (संशोधन) अधनियिम, 2013

धारा 498A का दुरुपयोग:

- **पति और रिश्तेदारों के खिलाफ:** 498A के तहत पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ फर्जी मामलों में गरिफ्तारी हेतु महिलाओं द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है।
 - **ब्लैकमेल करने के प्रयास:** इन दिनों कई मामलों में धारा 498ए को तनावपूर्ण वैवाहिक स्थिति से परेशान होने पर पत्नी (या उसके करीबी रिश्तेदारों) द्वारा ब्लैकमेल करने का साधन बना लिया जाता है।
 - इसके कारण ज़्यादातर मामलों में धारा 498ए के तहत शिकायत के बाद आमतौर पर अदालत के बाहर मामले को नपिटाने के लिये बड़ी राशि की मांग की जाती है।
- **वैवाहिक संस्था का ह्रास:** अदालत ने विशेष रूप से कहा कि प्रावधानों का दुरुपयोग और शोषण इस हद तक हो रहा है कि यह वैवाहिक की नींव के आधार को प्रभावित कर रहा है।
 - यह अंततः बड़े पैमाने पर समाज के स्वास्थ्य के लिये एक अच्छा संकेत नहीं साबित हुआ है।
 - महिलाओं ने आईपीसी की धारा 498A का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है क्योंकि यह कानून उनके प्रतिशोध या वैवाहिक स्थिति से बाहर निकलने का एक उपकरण बन गया है।
- **मालमिथ समिति की रिपोर्ट, 2003:** अपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों पर 2003 की मालमिथ समिति की रिपोर्ट में भी इसी तरह के विचार व्यक्त किये गए थे।
 - समिति ने कहा था कि आईपीसी की धारा 498ए का दुरुपयोग हो सकता है।

आगे की राह

- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लंबे समय तक मुकदमा चलने की वजह से बड़ी संख्या में आरोपी छूट जाते हैं। कभी-कभी तो पुलिस इतना कमज़ोर केस बनाती है कि आरोपी को अपराध से बरी कर दिया जाता है। वहीं कभी शिकायत दर्ज कराने वाले या तो थककर समझौता करने को मजबूर हो जाते हैं या केस वापस लेने के लिये तैयार हो जाते हैं।
- इसलिये राज्य और लोगों के दृष्टिकोण को बदलते हुए घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों के संभावित "दुरुपयोग" को रोककर इन्हें अपने वास्तविक उद्देश्य हेतु लागू करने की आवश्यकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/misuse-of-section-498a-1>

